भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 894

(दिनांक 06.02.2026 को उत्तर देने के लिए)

सरकारी विज्ञापन पर व्यय

894. श्री देरेक ओब्राईनः

श्रीमती सागरिका घोषः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान मुद्रण एवं प्रसारण/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी विज्ञापन पर किए गए वार्षिक व्यय का मंत्रालय और विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रचारात्मक गतिविधियों पर किए गए वार्षिक व्यय के प्लेटफ़ॉर्म-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान सरकार ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन अभियानों का प्रबंधन अथवा क्रियान्वयन करने के लिए किसी निजी फर्म अथवा एजेंसी को परिनियोजित किया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान, उक्त एजेंसियों की सूची, उनके परिनियोजित किए जाने की अवधि, चयन की प्रक्रिया और प्रत्येक को किए गए कुल भुगतान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों तथा अन्य पहलों संबंधी विज्ञापन, संबंधित मंत्रालयों/विभागों की ओर से जारी करता है। विज्ञापन अभियानों को अभियान की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न सोशल एवं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित किया जाता है। सीबीसी द्वारा डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 के अनुरूप विभिन्न मीडिया एजेंसियों को सूचीबद्ध किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान विज्ञापनों पर किए गए व्यय का विवरण सीबीसी की वेबसाइट अर्थात www.davp.nic.in पर उपलब्ध है।
